

तारीख
हुक्म

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुक्म की तारीख
में जारी हुआ।

16.5.2018

अभिभाषक वादी द्वारा वाद-पत्र पेप किया गया। वाद
कार्यालय टिप्पणी के प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर।
प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन द्वारा तलब किया जावे।
पत्रावली दिनांक 4.6.2018 वास्ते तलबी प्रतिवादीगण पेप हो।

4.6.18

पञ्जाली कैम्प नॉरिंग डेयर कें पेप डेडी वादी
अभिभाषक उप-उत्तरिवादी ल. 1 ता 5 की कोरे के गी
गकनुका कदनां 12. के बकालतगक पेप किया।
वादी पत्र की कोरे के ज. पत्र 01 R 10 (2) CPR
पेप कर उत्तरिवादी ल. 6 के विरुद्ध कोरे कोरे कोरे
गदी कोरे के साथ गक delete का आग्रह किया
गक। उत्तरिवादी पत्र की कोरे के उत्तर-पत्र कोरे
No-objection किने जाने के उत्तर ज. पत्र लंबीकार
किया जाना है, श्रीफते के गक delete किया जाने
उत्तरिवादी ल. 1 ता 5 की कोरे के उत्तर द्वारा पेप
डुका विरुद्ध वाद-पत्र कोरे लंबीकार किया गक।
उत्तरिवादी ल. 7 के हित सुरक्षित रखते हुए तलबी
बन्द की जाती है। वादीगण व उत्तरिवादीगण ल.
1 ता 5 की कोरे के लबक हाविर आउर भाउ
कदालत की कानक के डिक्ली किने जाने का निर्देश
करते हुए रादीगक पेप किया गक। कोरे वाद
गदीक शाहित पञ्जाली किया गक। वादी लब
उत्तरिवादी अभिभाषक की बहद लुनी गदी विरुद्ध

विवरण
कुलिया

राम लाल
रजिस्ट्रार
Dumme to do
-Execution

21/6/18

7.54

(al)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, हनुमानगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान... नोरंगदेसर

पीठासीन अधिकारी:-

1. कृष्णलाल

2. रामलाल

3. रणजीतासिंह

4. शिवभगवान

पि० निकूराम जाति जाट साकिन नोरंगदेसर तहसील व
जिला हनुमानगढ़।

-----वादीगण

बनाम

1. निकूराम पि० मु० पारी पत्नी मनफूल जाति जाट साकिन नोरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2. गोपीराम पुत्र निकूराम जाति जाट साकिन नोरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3. गीतादेवी पुत्री निकूराम पत्नी बेगराज जाति जाट साकिन उम्मेदपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

4. सन्तोदेवी पुत्री निकूराम पत्नी रणवीर जाति जाट साकिन चक दानेवाला (8एचएच) तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

5. बन्तोदेवी पुत्री निकूराम पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट साकिन ममेरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व)

-----प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा व तकसीम

मुकदमा नम्बर:- 135/18

निर्णय दिनांक:- 4.6.2018

वादीगण की ओर से श्री देवदत्त की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री राजकुमार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 4.6.18 को (नाम पीठासीन अधिकारी) सुरेश सिंह, पुरोहित (RAS)

उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि डिक्री की जाती है कि:-

1- चक 18 एन डी आर की 5.060 है० संयुक्त परिवार की जद्दी जायदाद होने के कारण वादीगण संख्या 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर प्रत्येक 1/4 हिस्सा अर्थात् 1.265 है० का